जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

न्यायालय परिसर, राजसमन्द

फोन नं. 02952–294498, Email-dlsa30rajsmand@gmail.com

क्रमांक / सामान्य / 2022 / 03 दिनांक :– 07-04-2022

विज्ञप्ति

माननीय रालसा, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में 09 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर संविदा सेवा के अन्तर्गत विपरीत प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जानी है:

क.सं.	प्राधिकरण / समिति का नाम	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	03
2	अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा, भीम, देवगढ, आमेट, कुम्भलगढ एवं रेलमगरा (प्रत्येक हेतु एक पद)	06

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 08.04.2018 व 14.11.2018 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक–एफ.7 (136 / 2)रालसा / संस्था–संविदा सेवा / 2022 / 175 दिनांक 31.03.2022 के अनुक्रम में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागो / पीएसयू से विपरित प्रतिनियुक्त पर संविदा पर सेवाएं ली जानी है। उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाऐं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाऐं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने के इच्छुक कर्मचारी दिनांक 12.04.2022 को 11.00 ए.एम. तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/rajsamand से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द

क्रमांक / सामान्य / 2022 / 1458-1472 दिनांक :– 07-04-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान।
03. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
04. जिला कलक्टर, राजसमन्द को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत्।
05. तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा / आमेट / देवगढ / भीम / रेलमगरा / कुम्भलगढ
06. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द
07. जिला नियोजन अधिकारी, राजसमन्द
08. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
09. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द